छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा चतुर्थ सत्र

अंक-01

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024</u>

(अग्रहायण 25, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत **"अरपा पइरी के धार"** का गायन किया गया।

2. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री सुनील सोनी, जो रायपुर दक्षिण से विधायक निर्वाचित हुए हैं, आज विधान सभा की प्रथम बैठक में विधान सभा की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ।

3. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्रीयुत श्रीगोपाल व्यास, राज्य सभा के पूर्व सांसद एवं श्री नंदाराम सोरी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, गजेन्द्र यादव, सदस्य, ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, केदार

कश्यप, वन मंत्री, सुशांत शुक्ला, कवासी लखमा, राजेश मूणत, सुनील सोनी, सदस्य ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्‌वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.41 बजे स्थगित की जाकर 11.46 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

4. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02 (कुल 02) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 76 तारांकित एवं 108 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

5. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि हर्ष का विषय है कि श्री नितिन नवीन जी, जो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी तथा बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं, वे आज सदन में उपस्थित हैं, मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूँ।

6. माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से "रजत जयंती वर्ष" के संबंध में बधाई संदेश

माननीय अध्यक्ष ने विधान सभा की रजत जयंती के अवसर पर उद्‌गार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गये हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ छत्तीसगढ़ राज्य दिनांक 1 नवम्बर, 2000

को अस्तित्व में आया और छत्तीसगढ़ राज्य की विधान सभा का प्रथम सत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2000 को आहूत किया गया। इस दृष्टि से 14 दिसम्बर, 2024 से छत्तीसगढ़ विधान सभा का पच्चीसवां वर्ष प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से आपको और प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ।

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा इस पच्चीसवें वर्ष को **"रजत जयंती वर्ष"** के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस **"रजत जयंती वर्ष"** में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा वर्षभर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं -

1. विधान सभा परिसर स्थित नवीन पुस्तकालय भवन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के पच्चीस वर्षों के दौरान विभिन्न अवसरों के छायाचित्रों की प्रदर्शनी तथा नवा रायपुर, अटल नगर में निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन के मॉडल को अवलोकन के लिए रखा जायेगा।

2. दिनांक 25 दिसम्बर, 2024 को षष्ठम् विधान सभा के माननीय सदस्यों पर केन्द्रित पुस्तक **"सदस्य परिचय-षष्ठम विधान सभा"** पंचम विधान सभा की अवधि में सभा द्वारा संपादित कार्यों के संबंध में प्रकाशित पुस्तक **"गठन से विघटन तक"** तथा **"विधान सभा-एक परिचय"** पुस्तिका का विमोचन।

3. **"रजत जयंती वर्ष"** अवधि में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार एवं शुक्रवार (अवकाश के दिनों को छोड़कर) को राज्य के समस्त जिलों के दसवीं, बारहवीं तथा महाविद्यालयीन, विश्वविद्यालयीन छात्र-छात्राओं को विधान सभा का भ्रमण कराया जाना।

4. बजट सत्र-2025 के दौरान- माननीय सदस्यों के मध्य सद्भावना क्रिकेट मैच तथा माननीय सदस्यों को संबोधित करने हेतु माननीय राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किया जाना।

5. अप्रैल, 2025 में पत्रकारिता के क्षेत्र के ख्यातिनाम एवं राज्य से बाहर के पत्रकारों की **"संसदीय रिपोर्टिंग एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती देने में पत्रकारिता की प्रभावी भूमिका"** विषय पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी।

6. मई, 2025 में **"त्वरित न्याय, समाज की सामयिक आवश्यकता"** विषय पर राज्य के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं अधिवक्तागणों का एक दिवसीय व्याख्यान।

7. जून, 2025 में **"संसद में महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना, नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम"** विषय पर समस्त माननीय महिला सदस्य, राज्य के महिला संगठनों के पदाधिकारी एवं ख्यातिमान महिलाओं की एक दिवसीय संगोष्ठी।

8. जुलाई, 2025 में नवा रायपुर स्थिति विधान सभा परिसर में **"वृक्षारोपण"** का कार्यक्रम।

9. अगस्त, 2025 में संभावित मानसून सत्र के दौरान देश/प्रदेश के ख्यातिनाम कलाकारों का एक **"सांस्कृतिक कार्यक्रम"** का आयोजन।

10. सितम्बर, 2025 में **"शिक्षा समाज के विकास की धूरी है"** विषय पर राज्य के शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी एवं शिक्षाविदों की एक दिवसीय संगोष्ठी।

11. अक्टूबर, 2025 में **"छत्तीसगढ़ का समृद्ध साहित्यिक इतिहास"** विषय पर राज्य के हिन्दी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकारगणों की एक दिवसीय संगोष्ठी।

12. नवम्बर, 2025 में **"चिकित्सा सेवा का पर्याय है"** अथवा **"छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की संभावनाएं"** विषय पर संगोष्ठी।

13. दिसम्बर, 2025 में रजत जयंती वर्ष के समाप्ति के अवसर पर भव्य एवं गरिमामय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन।

इन निर्धारित कार्यक्रमों में समय एवं परिस्थिति अनुसार परिवर्तन एवं परिवर्धन किया जा सकेगा।

साथ ही मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि "राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र कुल 9 जोन्स में विभाजित है, जिसमें से जोन क्रमांक-6 में "मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ राज्य" सम्मिलित हैं। बजट सत्र 2025 के बाद इन तीनों राज्यों की लोक लेखा समिति की एक संयुक्त बैठक छत्तीसगढ़ विधान सभा में आयोजित की जाना है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में नया रायपुर में निर्माणाधीन नवीन विधान सभा भवन का भी उद्घाटन होना है। नवीन विधान सभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा संविधान तथा नियमों के अधीन अनेकों सराहनीय कार्य संपादित किये गये हैं, जिस कारण से छत्तीसगढ़ विधान सभा का नाम देश के विधान मण्डलों में अग्रणी विधान सभाओं के रूप में लिया जाता है।

आप सभी से अपेक्षा है कि जिस प्रकार से प्रथम विधान सभा से लेकर पंचम विधान सभा तक इस विधान सभा द्वारा अपनी पहचान संसदीय प्रक्रियाओं, परम्पराओं, अनुशासन एवं मर्यादाओं का पालन करते हुए बनाई है, उसी प्रकार इस षष्ठम विधान सभा तथा आने वाले समय में भी उच्च स्तरीय संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं का प्रदर्शन इस विधान सभा द्वारा किया जायेगा।

मैं इस **"रजत जयंती वर्ष"** में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा करता हूं और साथ ही आपसे यह भी अपेक्षा है कि आपके कोई अच्छे सुझाव इस **"रजत जयंती वर्ष"** के आयोजन हेतु हों तो मुझे उससे अवश्य अवगत करायें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सुझाव पर विचार कर उसे मूर्त रूप दिया जा सके।

मैं पुन: **"रजत जयंती वर्ष"** पर आप सभी को तथा प्रदेश की जनता को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। **धन्यवाद।**

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 1 सन् 2024) दिनांक 30 अक्टूबर, 2024,

(ii) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 2 सन् 2024) दिनांक 30 अक्टूबर, 2024,

(iii) छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) 3 दिसम्बर, 2024 तथा

(iv) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) दिनांक 03 दिसम्बर, 2024,

(2) श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा

14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023),

(3) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2023-2024 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित का अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2023-2024,

(4) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 (क्रमांक 23 सन् 2010) की धारा 18 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 1-29/2015/17-1, दिनांक 29 अगस्त, 2024,

पटल पर रखे।

8. जुलाई, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2024 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

9. नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2024 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

10. माननीय राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा पंचम विधान सभा के जुलाई, 2022 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति तथा षष्ठम् विधान सभा के फरवरी-मार्च, 2024 सत्र में पारित कुल 05 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक एवं जुलाई, 2024 सत्र में पारित कुल 03 विधेयकों में से सभी 03

विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

11. पृच्छा

माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, उमेश पटेल द्वारा "प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था" पर दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को ग्राह्य कर चर्चा कराये जाने हेतु आसंदी से अनुरोध किया गया।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने शून्यकाल में विस्तृत चर्चा किये जाने पर आपत्ति की।

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने ग्राहयता पर चर्चा कराये जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष द्वारा उक्त विषय पर स्थगन की ग्राहयता पर चर्चा हेतु आज की कार्य सूची के पदक्रम (9) का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् का समय निर्धारित किया गया।

12. सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री विक्रम उसेण्डी

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) सुश्री लता उसेण्डी

(4) श्री लखेश्वर बघेल

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री प्रबोध मिंज

13. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :-

		निर्धारित समय
1.	**वित्तीय कार्य**	
	वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण	**3 घण्टे**
2.	**शासकीय विधि विषयक कार्य**	
(1)	छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024	**15 मिनट**
(2)	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024	**30 मिनट**
(3)	छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2024	**30 मिनट**
(4)	छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024	**30 मिनट**
(5)	छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024	**30 मिनट**

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री अजय चन्द्राकर, श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य ने प्रदेश में जल-जीवन मिशन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. चरण दास महंत, सदस्य ने प्रदेश में बारदाना खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री दयाल दास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

15. बहिर्गमन

(डॉ. चरण दास मंहत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया।)

16. नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी गई मानी गई :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्रीमती शेषराज हरवंश
3. श्री चैतराम अटामी
4. श्रीमती अंबिका मरकाम
5. श्री रोहित साहू

17. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय सभापति ने अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 की तिथि निर्धारित की।

18. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा

प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था

श्री उमेश पटेल, सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा प्रारंभ की। (जारी)

(1.30 बजे से 3.00 बजे तक भोजनावकाश हेतु अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

19. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा (क्रमशः)

श्री उमेश पटेल, सदस्य

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(लगातार व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 3.20 बजे से स्थगित की जाकर 3.28 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए।)

20. स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा (क्रमशः)

श्री उमेश पटेल, सदस्य

माननीय सभापति द्वारा प्रदेश में धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में 34 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री कवासी लखमा, लालजीत सिंह राठिया, द्वारिकाधीश यादव, इन्द्रशाह मण्डावी, कुंवर सिंह निषाद, रामकुमार यादव, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री भूपेश बघेल

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों के विचार सुनने तथा इस विषय पर माननीय मंत्री के वक्तव्य को सुनने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

21. बहिर्गमन

(डॉ. चरण दास मंहत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया।)

सायं 5.13 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 (अग्रहायण 26, शक संवत् 1946) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा